(a) whether Government of Andhra Pradesh have submitted a revised Neradi Barrage Project on river Vamsadhara to his Ministry and to Government of Orissa for examination as per the agreement between two States ;

(b) if so, when it was received and action taken by Government of Orissa and his Ministry on the report ;

(c) whether both the States are in a position to settle the differences on certain points of these will be reffered to his Ministry to settle the dispute ; and

(d) the present position of the project and the dispute ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d) The revised project report of Neradi Barrage, a component of Vamsadhara Project Stage-II, was received in July 1982 in the Central Water Commission from the Government of Andhra Pradesh, which was also forwarded by Andhra Pradesh to the Orisssa Government. The report indicated an area of 1266 acres as coming under submergence in Orissa. The Government of Orissa informed in September 1982 that their concurlence to the revised project could be given only after ground verification about submersible area in their territory is done by their Engineers. In July 1983, the Orissa Government informed that certain details in connection with design, flood discharge, corresponding back water and submergence of land other facilities as a result thereof etc. need to be re-examined and adequately provided for in the project estimate. The views of Government of Orissa on the project were conveyed to the Government of Andhra Pradesh have informed in November, 1983 that to sort out the matters, an official level discussion with the Government of Orissa is proposed to be held shortly at Bhubaneswar.

सिद्धमुख नहर और नौहर नहर योजनाएं

*175 **श्री दौलत राम सारन : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सिद्धमुख नहर और नोहर नहर योजनायें कब बनाई गई थीं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई सचिव ने रावी-व्यास ससमझौते के उपबंधों के अनुसार राजस्थान की सिद्धमुख और नौहर योजनाओं के बारे में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ 31 दिसम्बर, 1981 को विस्तृत विचार विमर्श किया था और 15 जनवरी, 1982 को निर्णय दिया था जिसके अनुसार सिद्धमुख और नौहर क्षेत्रों के लिए पानी की आवश्यकता 4.7 लाख एकड़ फुट आंकी गई थी और उसमें इस पानी की सप्लाई करने की पद्धति का भी उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ;

(ग) उक्त निर्णय राजस्थान सरकार को कब प्रेषित किया गया ; और

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं को जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है और यदि हां, तो कब और इन योजनाओं की अब क्या स्थिति है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से मूल नोहर सिंचाई एवं सिद्धमुख सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में क्रमश : 1977 और 1979 में प्राप्त हुई थीं। रावी-व्यास के अधिशेष जल के बटवारे पर हुए 31.12.1981 के करार के अनुसरण में, भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय के सचिव का निर्णय राजस्थान सहित सभी संबंधित राज्यों को 15.1.1982 को भेज दिया गया था, इससे संबंधित उद्धरण विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त निर्णयों पर आधारित आशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

सचिव, सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 15.1.1982 का निर्णय :

तीन राज्यों के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् तथा सभी सम्बन्धित पहलुओं को

ध्यान में रखते हुए सचिव, सिंचाई, भारत सरकार ने 15.1.1982 को निम्नलिखित निर्णय दिए थे :—

1. जल प्रवाह द्वारा नोहर तथा सिद्धमुख क्षेत्रों की सिंचाई के लिए राजस्थान की उपयुक्त आवश्यकता 0.47 मिलियन एकड़ फुट आंकी गई है तथा जल प्रवाह सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस मात्रा को उपयुक्त समझा गया है। राजस्थान का नांगल में 00.47 मिलियन एकड़ फुट से अधिक व्यास के व्यपवर्तित जल का दावा न्यायोचित नहीं है।

2. जल प्रवाह सिंचाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसकी सप्लाई की निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाना चाहिए :—

(क) राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्रों को जिन्हें अभी दक्षिणी घग्गर नहर तथा जंडवाला शाखा नहर द्वारा सिंचित किया जा रहा है, राजस्थान पोषक को स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए और इस तरह बचाए गए जल को इस प्रणाली का भाखड़ा प्रणाली के लिए नांगल में क्षमता फेक्टर पर 0.30 मिलियन एकड़ फुट जल ले जाने के लिए पुनर्रूपण करके फतहबाद शाखा, किशनगढ़ उपशाखा तथा बारूवाली शाखा के जरिए नोहर तथा सिद्धमुख क्षेत्रों को व्यपवर्तित कर दिया जाए। ऊपरी भागों में वर्तमान भाखड़ा प्रणाली अप्रभावित रहेगी। इसे राजस्थान सरकार के खर्चे पर किया जाना चाहिए।

(ख) शेष 0.17 मिलियन एकड़ फुट की शेष मात्रा, जो लगभग 3000 क्यूसेक के बराबर है, पहले नांगल बी एम एल के जरिए राजस्थान को व्यपवर्तित किया जाएगा। सचिव (सिंचाई), भारत सरकार द्वारा 7.11 1981 को की गई बैठक में जिसमें पजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह सर्वसम्मत से पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि बी एम एल को उसकी 12,500 क्यूसेक की मूल अभिकल्पित क्षमता तक पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए और इस कार्य को तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए। राजस्थान व्यस्ततम समय में सप्लाई अवधि के दौरान बी एम एल के जरिए राजस्थान-हरियाणा सीमा पर सम्पर्क स्थलों पर 855 क्यूसेक की क्षमता का उपयोग कर रहा है। बी एम एल के इसकी मूल क्षमता तक पुनः प्रतिष्ठित किए जाने के पश्चात् राजस्थान एक्स—नांगल से छोड़े जाने वाले 0.17 मिलियन एकड़ फुट जल के समतुल्य नोहर और सिद्धमुख क्षेत्रों के लिए 300 क्यूसेक जल क्षमता का और हकदार होगा। राजस्थान को अपने हक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बी एम एल में क्षमता के पुनः प्रतिष्ठित करने की लागत का भुगतान करना चाहिए।

3. बीएसएल परियोजना के जरिए व्यास के व्यपवर्तित जल की अधिकतम कुल मात्रा 3.82 मिलियन एकड़ फुट है। इसमें से 1981 के करार में किए गए आबंटन के अनुसार 0.20 मिलियन एकड़ फुट जल दिल्ली के लिए रिजर्व रखा जाएगा और शेष 3.62 मिलियन एकड़ फुट में से राजस्थान 0.17 मिलियन एकड़ फुट तथा हरियाणा शेष 3.45 मिलियन एकड़ फुट का हकदार होगा। हरियाणा, राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर को जोड़ने वाले लिंक चैनल के आरडी 496250 पर प्रतिप्रवाह में किसी उपयुक्त स्थान से राजस्थान फीडर के जरिये पहले के हरिके से शेष 0.05 मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त करेगा। तथापि, हरियाणा जल प्रवाह द्वारा अपने भाखड़ा क्षेत्रों को जल सप्लाई करने के लिए इस प्रबंध द्वारा 0.08 मिलियन एकड़ फुट तक जल प्राप्त कर सकता है। हरियाणा अपने हित में, उपयुक्त समय में रावी-व्यास जल के अपने हिस्से का अधिकतम उपयोग करने

के लिए अधिकतम सीमा तक इस मात्रा में वृद्धि करने के लिए व्यवहार्यता की जांच कर सकता है।

Reduction in Diesel Price For Small Fishing Boats

176. SHRI K. B. CHOUDHARI :
PROF. P. J. KURIEN :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to reduce the diesel price for small fishing boats by exempting Central excise duty as has been done in the case of deep sea fishing trawlers; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) The scope of exemption presently admissible to fishing trawlers including deep sea fishing vessels is being maintained for the time being at the same level.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के बारे में वास्तविकता जानने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट

*177. श्रीमती किशोरी सिन्हा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तविकता जानने के लिए बनायी गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान अति दयनीय और कमजोर है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है । ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति ने 180 योजनाओं में से 26 योजनाओं का निरीक्षण किया और 13 योजनाओं में कार्य की कोटि को अपेक्षाकृत घटिया पाया। समिति द्वारा बनायी गयी सामान्य त्रुटियां चिनाई तथा सीमेंट कंक्रीट की घटिया कोटि असन्तोषजनक गारा मिश्रण, खारे पानी का प्रयोग तथा अपर्याप्त स्थल निरीक्षणों से संबंधित थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुव्यवस्थित सर्वेक्षण तथा त्रुटियों को सुधारने, सुदृढ़ीकरण उपायों का कार्यान्वयन, निरीक्षण पद्धति को सरल बनाने, सख्त पर्यवेक्षी अनुशासन को सुनिश्चित करने कार्य स्थल पर सामग्रियों की जांच से संबन्धित उचित रजिस्टर रखने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, दोषी ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने आदि के लिये कार्यवाही की है।

Restriction on Purchase of Rice from Surplus States

*178. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR :
SHRI SKARIAH THOMAS :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether there is any restriction on Government agencies of any State for purchasing rice from other surplus states ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government of Kerala have requested Union Government for full freedom to the Kerala State Civil Supplies Corporation to purchase rice from open market in the surplus States ; and

(d) if so, the details of the request and the action by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) The whole country is treated as single zone for inter-State movement of rice through normal channels. Levy free rice can be moved freely within the country by the traders. The State Government or their agencies are, however, required to obtain prior approval of the General Govern-